29/11/24 पत्रावली पेश हुई। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

खुर्शीद अहमद पुत्र कमरूदीन जाति मुसलमान आयु 54 साल निवासी ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली

––वादी

बनाम

1. सिराजुदीन पुत्र कमरूदीन जाति मुसलमान आयु साल निवासी ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 34/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री रामनिवास पाराश[illegible] एडवाकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दि[illegible] जाता है व अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पक्षकारों कुसंयोजन होने से एवं सहखातेदार नु[illegible] को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकद[illegible] के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ..29/12/25.. को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra[illegible]
Date: 2026.05.01 13:02:17[illegible]
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–34 / 22 तारीख रजु:–22.9.2022

उनवान

खुर्शीद अहमद पुत्र कमरूदीन जाति मुसलमान आयु 54 साल निवासी ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली

––वादी

बनाम

1. सिराजुदीन पुत्र कमरूदीन जाति मुसलमान आयु साल निवासी ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक:– 29/12/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बर 2606 रकवा 1 वीघा 16 विस्वा एवं खसरा नम्बर 2607 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 2608 रकवा 3 विस्वा खसरा नम्बर 2609 रकवा 15 विस्वा एवं खसरा नम्बर 2611 रकवा 6 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 4 वीघा 11 विस्वा वाके कस्बा करौली पटवार हल्का करौली तहसील व जिला करौली वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजीयात है जिसका लगान वादी अदा करता चला आ रहा हैं। प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध नही है प्रतिवादी सं 1 लटठबाज आदमी है राज कानून से निडर है मेरी जिस्मानी कमजोरी को देखकर मेरी आराजी खसरा नम्बर 2606 रकवा 1 वीघा 16 विस्वा एवं खसरा नम्बर 2607 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा खसरा नम्बर 2608 रकवा 3 विस्वा खसरा नम्बर 2609 रकवा 15 विस्वा एवं खसरा नम्बर 2611 रकवा 6 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 4 वीघा 11 विस्वा पर

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:02
Reason: SelfAttested

अतिक्रमण कर कब्जा करने का कोई अधिकार हासिल नही हैं। वादी ने अपनी उपरोक्त आराजी की तीन तरफ से पत्थरों की बाउण्ड्री वाल कर रखी है। इस वर्ष ने अपनी आराजी 2606 रकवा 1 वीघा 16 विस्वा एवं खसरा नम्बर 2607 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा खसरा नम्बर 2608 रकवा 3 विस्वा खसरा नम्बर 2609 रकवा 15 विस्वा एवं खसरा नम्बर 2611 रकवा 6 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 4 वीघा 11 विस्वा में सरसों की फसल काश्त की है अब सावट है वादी की उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 2606 रकवा 1 वीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2607 रकवा 1 वीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्ब्र 2608 रकवा 3 विस्वा खसरा नम्बर 2609 रकवा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2611 रकवा 6 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 4 वीघा 11 बिस्वा के पास में प्रतिवादी का खेत है। प्रतिवादी का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी ने वादी की डोल को फैला दिया है और अतिक्रमण का इरादा बनाऐ हुए है अतः वादी प्रतिवादी का पाबन्द कराने का अधिकार है कि वह वादी की उपरोक्त आराजी खसरा नम्ब्र 2606 रकवा 1 वीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2607 रकवा 1 वीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2608 रकवा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 2609 रकवा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2611 रकवा 6 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 4 वीघा 11 बिस्वा में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण दख्ल नही करे एवं कब्जे काश्त वादी में कोई रूकावट या बाधा नही डाले। विनाय मुखासमत दिनांक 19.09.2022 को वादी की आराजी खसरा नम्बर 2606 रकवा 1 वीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2607 रकवा 1 वीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2608 रकवा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 2609 रकवा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2611 रकवा 6 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 4 वीघा 11 बिस्वा स्थित कस्बा करौली तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:02
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

करौली की डौली को फैलाने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है दावा अन्दर मियाद है एवं श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र का है। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 13.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

साक्ष्यवादी एकपक्षीय ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी खुर्शीद अहमद पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में शपथ पत्र प्रदर्श–1 व नकल जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श–2 प्रस्तुत किये है साक्ष्यवादी समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी एकपक्षीय का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर विवेचन किया गया। वादी द्वारा मुन्नी पुत्र जाबुद्दीन को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि मुन्नी भूमि के 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। उसे पक्षकारा बनाये वगैर दावा वादी धारा 188 आर टी एक्ट पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण चलने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पक्षकारों कुसंयोजन होने से एवं सहखातेदार मुन्नी को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.01 13:02:1
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली